इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2011—श्रावण 19, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

सूचना

क्र. 4875-वियो-215-2011.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गरोठ निवेश क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 10 अगस्त, 2011 को प्रकाशित किया जा रहा है और जिसकी प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, गरोठ, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, कलेक्टर, जिला मंदसौर तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिये उपलब्ध है. दिनांक 10 अगस्त 2011 से नगरपालिका हाल, नवीन बस स्टेण्ड यात्री प्रतीक्षालय के ऊपर, गरोठ में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है. प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टतायें नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी हैं :—

अनुसूची

1. भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र.

1.क प्राकृतिक परिसंकटों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र.

2. प्रारूप विकास योजना के उपबंधों को स्पष्टीकरण कराने वाली वृत्तात्मक रिपोर्ट, जो मानचित्रों तथा चार्टों से समर्थित हो.

3. प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था.

4. प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिये तथा वह रीति जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित करने के लिये उपबंध.

5. लोक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन के अनुमानित खर्चे तथा प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का लगभग प्राक्कलन.

प्रारूप योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हों तो उसे संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल को या उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय नीमच को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि में भेजें अथवा प्रदर्शनी स्थल पर प्रस्तुत करें.

के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. एफ 3-94-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक 4875-वियो-215-11 दिनांक 6 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2011

NOTICE

No. 4875-MPS-215-2011.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Garoth Planning Area has been published on 10 August 2011 in accordance with the provisions of sub-section (1) of the Section 18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection at the office of the Chief Municipal Officer, Nagar Palika, Garoth, Deputy Director, Town & Country Planning, Distt. office Neemuch, Collector, Distt. Mandsaur, Directorate Town & Country Planning, Madhya Pradesh Bhopal during office hours, except holidays. An exhibition is also arranged from 10th August 2011 at Nagar Palika Hall, New Bus stand, top of passenger waiting hall, Garoth, Copies of the Draft Development Plan will be supplied on payment at the venue place.

The particulars of the said Draft Development Plan have been specified in the schedule given below :—

SCHEDULE

1. The existing land use map.

1.a The natural hazard prone areas with the description of natural hazards.

2. A narrative report, supported by maps and charts, explaining the provisions of the development plan.

3. The phasing of implementation of the development plan.

4. The provisions of enforcing the draft development plan and stating the manner in which permission of development may be obtained.

5. An approximation of the cost of land acquisition, for public purpose and the cost of works involved in the implementation of the development plan.

If there be any objection or suggestions with respect to the said Draft Development Plan, it should be sent to the Director Town & Country Planning, Madhya Pradesh Bhopal or Deputy Director Town & Country Planning, Distt. Office Neemuch or may be submitted at the venue of exhibition within 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

K. C. GUPTA, Commissioner-cum-Director.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.